(18)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1036–तीन/2013 – विरूद्ध आदेश दिनांक 24–1–2013 – पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ – प्रकरण कमांक 49/2011–12 अपील

इन्दिरा खरे पत्नि कालिका प्रसाद खरे
ग्राम व तहसील खरगापुर जिला टीकमगढ़ ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामस्वरूप पुत्र शोभाराम शर्मा
ग्राम व तहसील खरगापुर
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश
2– मध्य प्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0श्रीवास्तव)
(अनावेदक क–1 के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित)

आ दे श

(आज दिनांक 2–1–2017 को पारित)

यह निगरानी व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 49/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 24–1–13 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि नायव तहसीलदार खरगापुर व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर आदेश दिनॉक 20-6-2008 से आवेदक व्दारा क्रय की गई भूमि पर नामान्तरण प्रमाणित किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक-1 ने अनुविभागीय अधिकारी बल्देवगढ़ के समक्ष दिनॉक 29-11-11 को अपील प्रस्तुत की तथा अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा-5 का आवेदन प्रस्तुत किया। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 49/2011-12 अपील में अंतरिम आदेश दिनांक 24-01-2013 पारित करके अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि आवेदक ने रिकार्डेड भूमिस्वामी से पंजीकृत विक्रय पत्र से भूमि क्रय की है तथा विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक । पर आदेश दिनॉक 20-6-2008 से नायव तहसीलदार ने नामान्तरण किया है। विधिवत् हुये नामान्तरण आदेश दिनांक 20-6-08 के विरूद्ध 3 वर्ष वाद बेरूम्याद अपील की गई है और इतनी लम्बी अवधि के विलम्ब को क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी ने गलती की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाय।

अनावेदक क्रमांक 1 के अभिभाषक ने तर्को में व्यक्त किया कि जब अनावेदक क्रमांक 1 वादोक्त भूमि का सहखातेदार है तथा

नामांत्रण कार्यवाही करते समय सहखातेदार को व्यक्तिगत सूचना देना थी जो नहीं दी गई। जैसे ही उसे नामान्तरण कार्यवाही का पता चला, अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन में वास्तविकता बताते हुये अपील की गई है जिससे संतुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा किया है इसलिये निगरानी निरस्त की जाय।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि नामान्तरण आदेश दिनांक 20-6-08 के विरूद्व 3 वर्ष वाद अपील की गई है एंव अपील मेमो में दर्शित कारणों से सन्तुष्ट होकर अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा करके प्रकरण दोनों पक्षकारों को गुणदोष पर सुनवाई के लिये नियत किया है। अधीनस्थ न्यायालाय के आदेश दिनांक 24-1-13 के क्रम में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन के तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में स्थिति यह है कि यह सही है कि भूमि सर्वे नंबर 3650 क / 2 तथा सर्वे नंबर 3650 द /1 विक्रेता की एंव आवेदक की सामिलाती भूमि है। सामान्य नियम है कि सम्मिलित हिस्से की भूमि में से एक सहखातेदार व्दारा भूमि विक्रय करने पर विक्रय पत्र के आधार पर किये जाने वाली नामान्तरण कार्यवाही में विक्रेता को एंव सहखातेदारों को सूचना देकर आहुत करना लाजमी है, किन्तु नामान्तरण पंजी के सरल क्रमांक 1 पर आदेश दिनॉक 20-6-08 से नायव तहसीलदार व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व सहखातेदारों को सूचना न दिये जाने अनुविभागीय अधिकारी ने विलम्ब क्षमा किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि करना नहीं पाया गया है । वैसे भी उभय पक्ष को

अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपना - अपना पक्ष रखने का उपचार प्राप्त है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप. की गुॅजायश नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने निरस्त की जाती है एंव अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण क्रमांक 49/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 24-1-13 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर